



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—१, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, २९ मार्च, २०११ ई०

चैत्र ०८, १९३३ शक सम्बत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या ११६/ XXXVI(३)/ २०१०/ ४८(१)/ २००९

देहरादून, २९ मार्च, २०१०

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद २०० के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित “उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियाँ एवं पेन्शन) (संशोधन) विधेयक, २०११” पर दिनांक २९ मार्च, २०११ को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या ०१ वर्ष, २०११ के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेन्शन) (संशोधन) अधिनियम, २०११
[उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या ०१ वर्ष २०११]

उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेन्शन) अधिनियम, २००८ में अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठवे वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :—

- संक्षिप्त नाम** 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेन्शन) (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।
- धारा 1 का प्रतिस्थापन** 2. उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेन्शन) अधिनियम, 2008 [यथा संशोधित अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या 16 वर्ष 2010)] (जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 1 की उपधारा (2) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्—
 “(2) धारा 23 के सिवाय यह दिनांक 01 अप्रैल 2009 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।”
- धारा 15 का प्रतिस्थापन** 3. मूल अधिनियम की धारा 15 के परन्तुक को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्—
 “परन्तु यह कि यदि किसी सदस्य द्वारा लिये गये अग्रिम को ब्याज सहित वापस कर दिया गया हो तो ऐसे किसी सदस्य को उसके अनुरोध पर पुनः अग्रिम की सुविधा अनुमन्य की जा सकती है।”
- धारा 23-क का संशोधन** 4. मूल अधिनियम की धारा 23-क के स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नवत् स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्—
 ‘स्पष्टीकरण-1— सदस्य तथा पूर्व सदस्य के सम्बन्ध में आश्रित से ऐसे सदस्य के साथ रहने वाले और उस पर पूर्णतः आश्रित अधिमान कम में उसके पति या उसकी पत्नी, अवक्षक पुत्र, अविवाहित पुत्री, पिता या माता अभिप्रेत है।
 स्पष्टीकरण-2— ‘पूर्व सदस्य’ से ऐसा सदस्य अभिप्रेत है, जो उत्तराखण्ड विधान सभा सचिवालय से घेन्शन प्राप्त कर रहा है।”

आज्ञा से,
 राम सिंह,
 प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand State Legislature (Emoluments and Pension of Members ((Amendment) Act, 2011' (Adhiniyam Sankhya 01 of 2011) :--

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 29 March, 2011).